पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1714
दिनांक- 20.09.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना-सआदतगंज

➢ **उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार थाना सआदतगंज पुलिस द्वारा 01 मृतक हिस्ट्रीशीटर के खाका को नष्ट किया गया।**

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री तरुण गाबा महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के आदेश के क्रम में श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, बाजारखाला श्री रंजीत कुमार के समक्ष प्रभारी निरीक्षक सआदतगंज श्री संतोष कुमार आर्य द्वारा दिनांक 19.09.2026 को थाना स्थानीय पर मृतक एच0एस0 01ए राम औतार पुत्र स्व0 तुलसी राम निवासी मूल पता घण्टा वेग गढैय्या थाना सआदतगंज लखनऊ व हाल पता 391ग/1 खिडकी मीर आगा व 391/22क घण्टा वेग गढैय्या थाना सआदतगंज लखनऊ का मूल खाका नियमानुसार नष्ट किया गया , जिसका तस्करा जी0डी0 में अंकित कर तकमीला सम्बन्धित रजिस्ट्रान में किया गया।

टीम का नाम:-

1.श्री रंजीत कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला लखनऊ
2.श्री संतोष कुमार आर्य, प्रभारी निरीक्षक सआदतगंज लखनऊ
3.हे0का0 सुजात हुसैन , मालखाना मोहर्रिर थाना सआदतगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1713

दिनांक- 20.09.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना-सआदतगंज

➢ **थाना सआदतगंज पुलिस की तत्परता से 24 घण्टे के भीतर 01 गुमशुदा लड़के (उम्र करीब 14 वर्ष) को सकुशल किया गया बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.09.2026 को वादी द्वारा थाना सआदतगंज पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनका करीब 14 वर्षीय पुत्र बिना बताए कहीं चला गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना सआदतगंज पर तत्काल मु0अ0सं0 219/26 धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) एवं सहायक पुलिस आयुक्त (बाजारखाला) के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक सआदतगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर नाबालिग बालक की सकुशल बरामदगी हेतु तत्काल तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम द्वारा बालक के संबंध में परिजनों एवं आसपास के लोगों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया तथा संभावित स्थानों पर तलाश की गई। इसके साथ ही घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया तथा सर्विलांस के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी जुटाई गई।

पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सुरागों एवं तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए लगातार प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 19.09.2026 को नाबालिग बालक को गुमशुदगी के 24 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर लिया गया। बरामद बालक को नियमानुसार परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा प्रकरण में अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 219/2026 धारा 137(2) बीएनएस थाना सआदतगंज लखनऊ।

03-पुलिस टीम का विवरण:

1. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार थाना सआदतगंज लखनऊ
2. का0 आशीष पाल थाना सआदतगंज लखनऊ
3. का0 विनोद कुमार थाना सआदतगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1715
दिनांक-20.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहाँ

- ***थाना निगोहाँ पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त पति गिरफ्तार***

01-कार्यवाही विवरणः-

पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष निगोहाँ श्री रवीन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को किया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक-18.09.2026 को थाना निगोहाँ पर वादिनी मुकदमा श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री विमल कुमार निवासिनी ग्राम कोडरा पो0 खिजिरपुर करौन्दी थाना हरचन्दपुर जनपद रायबरेली द्वारा लिखित प्रा0पत्र दिया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी19 वर्षीय पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया, जिससे आहत होकर वादिनी की लडकी ने आत्म हत्या कर ली,जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिया, प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निगोहाँ पर मु0अ0स0- 129/2026,धारा-85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा टैक्निकल, मैनुअल एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त करन कोरी को आज दिनांक-20.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

- करन कोरी पुत्र राज कुमार निवासी ग्राम रतनापुर थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष।

04-अनावरित अभियोग का विवरणः-

- मु0अ0स0-129/2026,धारा-85,80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट बी0एन0एस0 थाना निगोहां जनपद लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 श्री मोहित सैनी
- उ0नि0 श्री ओम प्रकाश पाण्डेय
- का0 दिनेश सरोज

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1711
दिनांक-20.09.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **थाना नाका हिण्डोला पर 02 एचएस के एचएस खाका नियमानुसार नष्ट किये गये ।**

01-कार्यवाही विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा हिस्ट्रीशीटर निगरानी व मृतक हिस्ट्रीशीटर का खाका नष्ट कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना नाका के एचएस जिनके एचएस नं0 क्रमश 89ए व 142ए से संबंधित अभियुक्तगण 1- बबलू उर्फ हुक्का पुत्र जाकिर उर्फ लड्डन निवासी नूरे पीर बक्स मजरे गहिरी पोस्ट बरहा थाना खीरो जनपद रायबरेली, हाल पता नेहरू नगर ऐशबाग थाना नाका हिण्डोला लखनऊ व 2- अरूण कुमार मौर्या उर्फ कोकी उर्फ अरविन्द पुत्र डैनी मौर्या उर्फ रमेश मौर्या निवासी 79/76 मातादीन का हाता न्यू गणेशगंज थाना नाका हिण्डोला जनपद लखनऊ की मृत्यु हो जाने के कारण उनके एचएस खाका श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग की उपस्थिति में नियमानुसार नष्ट किया गया।

प्रेस नोट सं0-1716
दिनांक-20.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलाललगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह के नेतृत्व में NBW/वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 20.09.2026 को माननीय न्यायालय लखनऊ द्वारा जारी NBW/वारण्टी पण्डित उर्फ विनीत मिश्रा पुत्र स्व0 अशोक मिश्रा निवासी ग्राम बल्दीखेड़ा कुर्री सुदौली थाना बछरावां जनपद रायबरेली उम्र करीब 30 वर्ष सम्बन्धित (स्पेशल ट्रायल /83/2016) मु0अ0सं0 199/2015 धारा 307/504 भादवि की तलाश के क्रम में अभियुक्त पण्डित उर्फ विनीत मिश्रा उपरोक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

- पण्डित उर्फ विनीत मिश्रा पुत्र स्व0 अशोक मिश्रा निवासी ग्राम बल्दीखेड़ा कुर्री सुदौली थाना बछरावां जनपद रायबरेली उम्र करीब 30 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 199/2015 धारा 307/504 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
- मु0अ0सं0 314/2015 धारा 324/504/506 भादवि व 3(1)(x) SC/ST ACT थाना मौरांवा उन्नाव।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1712
दिनांक- 20.09.2026

जोन मध्य / थाना मदेयगंज

- **थाना मदेयगंज की पुलिस टीम द्वारा पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम करने का आरोपी / अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.09.2026 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा थाना मदेयगंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोपी मो0 शहजाद पुत्र मो0 रसीद निवासी ग्राम मोहम्मद नगर, थाना मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया तथा उसकी आपत्तिजनक फोटो/वीडियो भी बना ली गयी। पीड़िता द्वारा जब आरोपी पर शादी करने हेतु दबाव बनाया गया तो आरोपी द्वारा उक्त फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी दी गयी तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए शादी करने से इनकार कर दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्काल मु0अ0स0 112/2026 धारा 69/351(3) बीएनएस बनाम मो0 शहजाद उपरोक्त लखनऊ पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। जिनके द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी सुरागरसी की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मो0 शहजाद उम्र करीब 19 वर्ष उपरोक्त को बुद्धा पार्क की तरफ से टीले वाली मस्जिद के पास से नियमानुसार दिनांक 19.09.2026 को समय करीब 20.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मो0 शहजाद पुत्र मो0 रसीद निवासी ग्राम मोहम्मद नगर, थाना मलिहाबाद, लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 112/2026 धारा 69/351(3) बीएनएस थाना मदेयगंज लखनऊ

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

04. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अनुज कुमार तिवारी, थाना मदेयगंज लखनऊ
2. उ0नि0 सविता, थाना मदेयगंज लखनऊ
3. उ0नि0 नागवेन्द्र सिंह, थाना मदेयगंज लखनऊ
4. उ0नि0 प्रमोद कुमार तिवारी, थाना मदेयगंज लखनऊ
5. उ0नि0 परितोष कुमार मिश्रा, थाना मदेयगंज लखनऊ
6. उ0नि0 दिव्यांशु मिश्रा,थाना मदेयगंज लखनऊ
7. उ0नि0 बृजेश कुमार, थाना मदेयगंज लखनऊ
8. उ0नि0 सुधीर कुमार, थाना मदेयगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1709
दिनांक-20.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

- **थाना कृष्णानगर पुलिस एवं सर्विलांस टीम (दक्षिणी) की संयुक्त कार्यवाही।**
- **अपहरण कर फिरौती वसूलने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 अदद कूटरचित पुलिस अधिकारी के आईडी कार्ड, 02 अवैध तमंचा (03 जिन्दा कारतूस), ₹2.50 लाख नगद एवं घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन एवं 02 अदद कूटरचित नम्बर प्लेट बरामद।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर, श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर, श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम एवं सर्विलांस सेल, जोन दक्षिणी की संयुक्त कार्यावाही में अपहरण कर फिरौती वसूलने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 06 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 02 अवैध तमंचा (03 जिन्दा कारतूस), ₹2.50 लाख रुपये नगदी एवं घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन बरामद। ।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक-13.09.2026 को वादी मुकदमा/पीड़ित सुदर्शन घोष पुत्र स्व0 वीरेन्द्र चन्द्र घोष निवासी साकेत अपार्टमेंट पोस्ट आफिस राजेन्द्रनगर मवइया चौराहा थाना आलमबाग लखनऊ की तहरीरी सूचना दी गयी, जिसमे आफिस जाते समय 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस वाला बताकर जबरन गाड़ी मे बैठा कर असलहे से डरा-धमकाकर मेरा अपहरण कर लिए और मेरे साथ मार-पीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए मेरी पत्नी के पास फोन करके फिरौती की मांग की जिसके बाद फिरौती में मांगी गयी नगदी व ज्वैलरी मेरी पत्नी से लेने के संबंध प्रार्थना पत्र दिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कृष्णानगर में मु0अ0सं0- 0386/2026, धारा- 115(2)/140(2)/308(5) भा0न्या0सं0, पंजीकृत किया गया।

अभियोग के सफल अनावरण, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 08 टीम का गठन कर, सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी को भी लगाया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा 220-240 सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. अनुराग पुत्र धर्मेन्द्र, 2.लवी कुमार, 3.दीपांशु कुमार, 4. अनुराग कुमार पुत्र स्व0 प्रमोद कुमार, 5. आकाश चौधरी, 6. मनीष कुमार को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही पूर्णकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया किया गया। अन्य अभियुक्तगण की तलाश की जा रही है।

03-अभियुक्तों से पूछताछ का विवरणः-

अभियोग उपरोक्त की घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्तगण के द्वारा बताया गया कि साहब हम लोगों का संगठित गिरोह है। जिसमे अलग-अलग राज्यों के कई शातिर अपराधी शामिल है। हम लोग ऐसे लोगो को खोजते रहते है, जिन लोगो के पास काफी पैसा होता है। हम लोगो द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पहले ऐसे लोगो की रेकी की जाती है और रेकी करने के बाद हम लोग घटना को अंजाम देते है, लखनऊ की जो घटना हम लोगों ने कारित की है, इसकी जानकारी हमारे गैंग के सदस्य जो लखनऊ के ही रहने वाला है और वादी का करीबी है, उसके द्वारा वादी की गतिविधियों के बारे में बताया था कि इनके पास काफी धन है यदि हम लोग मिलकर घटना को अंजाम दे तो काफी पैसा मिल सकता है, जिस कारण हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से लखनऊ में रहकर वादी के आने-जाने की रेकी करने लगे एवं एक दिन मौका मिलने पर सुदर्शन के ऑफिस के पास से दिनांक 12.09.2026 को अपना परिचय पुलिस अधिकारी बताते हुए एवं फर्जी कूटरचित पुलिस अधिकारी का आईडी कार्ड दिखाकर पूछताछ के लिए वादी को गाडी मे बैठा लिया एवं वादी को डराया धमकाया एवं मौके से फरार हो गये, एवं वादी को धमकाया कि अपने घर से पैसा मंगा कर हम लोगो को लाकर दे एवं वादी से जबरदस्ती उसके घर पर उसकी पत्नी को फोन कराया और बोला कि वादी को छोडने के बदले में पैसे के फिरौती की मांग की एवं न देने पर जान माल की धमकी दी, कुछ समय बाद हम लोगों को वादी के ड्राइवर द्वारा 13 लाख रुपये नगदी तथा सोने चाँदी के जेवर फिरौती के रुप में मिलने पर सुदर्शन को शहीद पथ के पास छोड कर चले गये थे एवं हम लोग घटना को अंजाम देने के बाद अलग-अलग राज्यों में चले गये थे। घटना में जिन गाडियों का हम इस्तेमाल करते है उन पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगा देते है, जिससे पुलिस हम लोगो को पकड न सके। घटना से प्राप्त नगदी तथा ज्वैलरी को आपस में बांट लिया था एवं प्राप्त कुछ पैसे को एसो आराम में खर्च कर दिया था तथा अगली घटना को अंजाम देने के लिये दोबारा लखनऊ आये थे कि आप लोगो द्वारा पकड लिया गया। साहब हमसे गलती हो गयी, हमे माफ कर दीजिए।

04- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1- अनुराग पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी रानऊ रहम अलीपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर उ0प्र0 उम्र 26 वर्ष।
2- अनुराग कुमार पुत्र स्व0प्रमोद कुमार निवासी न्यू कालोनी अतरदा थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरपुर बिहार उम्र 33 वर्ष।
3- लवी कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी जानीपुर कला थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर उ0प्र0 उम्र 30 वर्ष।
4- दीपान्शू कुमार पुत्र मनवीर सिंह निवासी जानीपुर थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर उ0प्र0 24 वर्ष।
5- आकाश चौधरी पुत्र सतीशचन्द्र चौधरी निवासी जानीपुर कला थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र 23 वर्ष
6- मनीष कुमार पुत्र स्व0सुरेन्द्र शर्मा निवासी 255छ अकाउन्ट्स कालोनी सोनपुर थाना सोनपुर जनपद सारन बिहार उम्र 24 वर्ष।

05-आपराधिक इतिहासः-

- **अभियुक्त आकाश पुत्र सतीश का आपराधिक इतिहास-**
  1. मु0अ0सं0- 430/2020 धारा- 323/447 भादवि0 थाना शिकारपुर, बुलन्दशहर उ0प्र0।
  2. मु0अ0सं0- 0499/2020 धारा-147/506 भादवि0 थाना शिकारपुर, बुलन्दशहर उ0प्र0।
  3. मु0अ0सं0- 500/2020 धारा- 147/148 भादवि0 थाना शिकारपुर, बुलन्दशहर उ0प्र0।
  4. मु0अ0सं0- 501/2020 धारा- 25/27/3 आर्म्स एक्ट, थाना शिकारपुर, बुलन्दशहर उ0प्र0।
  5. मु0अ0सं0- 390/2023 धारा- 307/323/352/504/506 भादवि, थाना शिकारपुर, बुलन्दशहर उ0प्र0

- **अभियुक्त अनुराग पुत्र धर्मेन्द्र का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0-455/2025,धारा-61/3(5)/340(2)/338/336(3)/318(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजय नगर , गाजियाबाद कमिश्नरेट उ0प्र0 ।

06-अनावरित अभियोग का विवरणः-

- मु0अ0सं0- 0386/2026 धारा- 115(2)/140(2)/319(2)/318(4)/340(2)/310(2)/61(2)/317(3) भा0न्या0सं0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कृष्णानगर,लखनऊ।

07-बरामदगी विवरणः-

- 02 अदद तमंचा 315 बोर अवैध
- 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध,
- 02 अदद नम्बर प्लेट नम्बर BR01 BC1484
- नगदा कुल रु. 250000/-
- 01 अदद स्कार्पियो कार (घटना में प्रयुक्त)
- 04 अदद कूटरचित फर्जी पुलिस अधिकारी के आईडी कार्ड बरामद।

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना कृष्णानगर पुलिस एवं सर्विलांस टीम जोन दक्षिणी की संयुक्त टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

नोट- श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी द्वारा घटना के सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25000/-रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1710
दिनांक-20.09.2026

जोन-पूर्वी / थाना-चिनहट

- **सर्विलांस टीम पूर्वी जोन व थाना चिनहट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा वादी के भाई की हत्या करने वाला वाला 01 शातिर व 25000 रू0 के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 19.07.2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0-387/2026 धारा-140(1) बीएनएस धारा बढ़ोतरी-103(1)/238/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित इनामिया अभियुक्त तौफीक अहमद पुत्र हकीक अहमद निवासी छिलगंवा छोटी तकिया थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी उम्र 21 वर्ष को रायपुर बाबूगांव के चौराहे के पास से हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार किया गया।

02- कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 02.06.2026 को गुलफाम अहमद 22 वर्ष के गुम हो जाने के सम्बन्ध में गुमशुदगी संख्या-86/26 पंजीकृत होकर जांच उ0नि0 रितेश सिंह को सुपुर्द की गयी। जिसमें दिनांक 19.07.2026 को वादी इस्तीयाक अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम ज्ञानीपुर थाना शिवगण जिला सुल्तानपुर उम्र करीब 30 वर्ष के द्वारा वादी के भाई गुलफाम अहमद 22 वर्ष का अपहरण हो जाने के सम्बन्ध पुनः तहरीर के आधार पर गुमशुदगी को तरमीम करते हुए मु0अ0सं0- 387/26 धारा-140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 श्री दिनेश चन्द्र मिश्र द्वारा सम्पादित की जा रही है। उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से गुमशुदा गुलफाम अहमद की बरामदगी/अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। **गठित टीमों द्वारा अभियुक्त समीर और मो0 साहिल को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल में निरूद्ध किया जा चुका है।**

उपरोक्त अभियोग में तभी से वांछित चल रहे 25000/- रू. इनामिया अभियुक्त तौफिक उपरोक्त को गठित टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को हिरासत पुलिस लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही का जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- तौफीक अहमद पुत्र हकीक अहमद निवासी छिलगंवा छोटी तकिया थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी उम्र 21 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0-387/26 धारा-140(1) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ। उ0नि0 अमरनाथ चौरसिया

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना चिनहट पुलिस टीम	**सर्विलांस टीम पूर्वी जोन**
प्र0नि0 श्री दिनेश चन्द्र मिश्र	उ0नि0 अमरनाथ चौरसिया
उ0नि0 अभय कुमार सिंह	हे0का0 संदीप पाण्डेय
उ0नि0 अंकुश	का0 शिवानन्द खरवार
उ0नि0 कपिल कुमार	का0 तरनजीत सिंह
हे0का0 गजेन्द्र प्रताप सिंह	का0 प्रदीप
	का0 राघवेन्द्र सिंह